भारत सरकार

पर्यटन मंत्रालय

लोक सभा

लिखित प्रश्न सं. 738

सोमवार, 12 दिसम्बर, 2022/21 अग्रहायण, 1944 (शक)

को दिया जाने वाला उत्तर

पर्यटन को बढ़ावा देना

738. श्री कृपाल बालाजी तुमाने:
श्रीमती भावना गवली (पाटील):
क्या पर्यटन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने हेतु अन्य क्षेत्रों में पर्यटन का विस्तार करने पर विचार कर रही है;

(ख) सरकार द्वारा देश में पर्यटन उद्योग को बढ़ावा देने के लिए क्या आवश्यक कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या सरकार ने देश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए गाइड के पाठ्यक्रम हेतु कोई पहल की है या करने का विचार है या कोई विशेष पाठ्यक्रम तैयार किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार द्वारा देश में विदेशी पर्यटकों की सुरक्षा और पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जा रहे हैं; और

(च) सरकार द्वारा देश में नए पर्यटन स्थलों के विकास/पहचान के लिए क्या प्रयास किए जा रहे हैं?

उत्तर

पर्यटन मंत्री (श्री जी. किशन रेड्डी)

(क) से (च) : पर्यटक स्थलों को पहचान, विकास और संवर्धन मुख्य रूप से राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों की जिम्मेदारी है । तथापि पर्यटन मंत्रालय समग्र रूप से देश के पर्यटन गंतव्यों का संवर्धन करता है । यह संवर्धन घरेलू और महत्वपूर्ण वैश्विक बाजारों में ''आतिथ्य सहित घरेलू संवर्धन और प्रचार'' (डीपीपीएच) और ''बाजार विकास सहायता सहित विदेश में संवर्धन और प्रचार'' (ओपीएमडी) योजनाओं के तहत किया जाता है। अन्य क्षेत्रों में भी पर्यटन के अवसरों को बढ़ाने के लिए अन्य निश विषयों के साथ-साथ निरोगता पर्यटन, चाय पर्यटन, कलीनरी पर्यटन, ग्रामीण पर्यटन, ईको पर्यटन आदि जैसे थीमेटिक पर्यटन का उत्साहपूर्ण तरीके से संवर्धन किया जाता है । विभिन्न थीमों को हाइलाइट करने के लिए मंत्रालय की वेबसाइट www.incredibleindia.org के साथ-साथ

सोशल मीडिया अकाउंट्स के माध्यम से डिजिटल प्रचार भी किया जाता है । उपरोक्त के अतिरिक्त, प्रचार के भाग के रूप में, पर्यटन मंत्रालय देश में पर्यटक स्थलों की पूर्ण क्षमता का उपयोग करने के लिए पर्यटन संबंधी अवसंरचना के विकास के लिए अपनी 'स्वदेश दर्शन', तीर्थस्थल जीर्णोद्धार और आध्यात्मिक, विरासत संवर्धन अभियान संबंधी राष्ट्रीय मिशन (प्रशाद)' और 'पर्यटन अवसंरचना के विकास के लिए केंद्रीय एजेंसियों को सहायता' योजनाओं के तहत राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों/ केंद्रीय एजेंसियों को वित्तीय सहायता भी प्रदान करता है ।

पर्यटन मंत्रालय ने 'देखो अपना देश' पहल की शुरूआत की है, जिसका मंत्रालय के सोशल मीडिया अकाउंट्स और वेबसाइट तथा घरेलू भारत पर्यटन कार्यालयों द्वारा व्यापक रूप से प्रचार किया जा रहा है । इस पहल के अंतर्गत, मंत्रालय हितधारकों से जुड़े रहने और अपने देश की यात्रा करने के लिए नागरिकों को प्रोत्साहित करने के लिए वेबिनार, प्रश्नोत्तरी, शपथ, चर्चाओं, रोड शो का आयोजन कर रहा है ।

पर्यटन मंत्रालय ने योजना के अवसर और पहुंच को बढ़ाने के लिए घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए बाजार विकास सहायता (एमडीए) योजना के लिए दिशानिर्देशों में संशोधन किया है, ताकि हितधारकों को अधिकतम लाभ प्रदान किया जा सके । संशोधित एमडीए दिशानिर्देशों के अनुसार, घरेलू पर्यटन के संवर्धन के लिए हितधारकों को वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है । राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों के पर्यटन विभाग भी अब इस योजना के तहत वित्तीय सहायता प्राप्त करने के पात्र हैं । अतिरिक्त संवर्धन गतिविधियों को शामिल किया गया है जिसमें जम्मू और कश्मीर तथा लद्दाख संघ राज्यक्षेत्र सहित पूर्वोत्तर भारत के राज्यों के लिए ऑनलाइन प्रचार शामिल है । एमडीए योजना के तहत स्वीकार्य वित्तीय सहायता की सीमा में भी वृद्धि की गई है ।

पर्यटन मंत्रालय अखिल भारतीय अतुल्य भारत पर्यटक सुविधाप्रदाता (आईआईटीएफ) प्रमाणन कार्यक्रम चला रहा है जो एक डिजिटल पहल है जिसका लक्ष्य देश-भर में सुप्रशिक्षित और पेशेवर पर्यटक सुविधाप्रदाताओं/गाइडों के समूह के सृजन के उद्देश्य से एक ऑनलाइन शिक्षण प्लेटफार्म तैयार करना है । यह प्रणाली अभ्यर्थियों के लिए मूलभूत, उच्च आईआईटीजी (विरासत और साहसिक), मौखिक भाषा और पुनश्चर्या पाठ्यक्रम प्रदान करती है । अभ्यर्थी इन ऑनलाइन पाठ्यक्रमों को कहीं से भी और किसी भी समय तथा अपनी सुविधानुसार कर सकते हैं । अतुल्य भारत पर्यटन सुविधाप्रदाता बेसिक कोर्स ऑनलाइन परीक्षा अब तक तीन बार आयोजित करवाई गई है जिसमें कुल 3795 अभ्यर्थियों ने आईआईटीएफ बेसिक परीक्षा उत्तीर्ण की है । आईआईटीएफ पोर्टल पर आईआईटीएम द्वारा आईआईटीजी (विरासत) पाठ्यक्रम लांच किया गया है और यह पंजीकरण के लिए उपलब्ध है।

पर्यटकों की सुरक्षा अनिवार्य रूप से राज्य सरकार का विषय है । हालांकि पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न उपाय किए हैं जो इस प्रकार हैं :

i. पर्यटन मंत्रालय ने समर्पित पर्यटन पुलिस की स्थापना करने के लिए सभी राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र (यूटी) प्रशासनों के समक्ष मामले को उठाया है । पर्यटन मंत्रालय के प्रयासों से आंध्र प्रदेश, दिल्ली, गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, मध्य प्रदेश, ओडिशा, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम और उत्तर प्रदेश की राज्य सरकारों/संघ राज्यक्षेत्र प्रशासनों ने किसी न किसी रूप में पर्यटक पुलिस तैनात की है ।

ii. पर्यटन मंत्रालय ने पर्यटक पुलिस की आवश्यकता को समझने और पर्यटकों की आवश्यकताओं के प्रति पर्यटन पुलिस को जागरूक करने के लिए भारतीय पर्यटन और यात्रा प्रबंधन संस्थान (आईआईटीटीएम) के माध्यम से 'राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में पर्यटन पुलिस के कार्य और सर्वश्रेष्ठ कार्यप्रणाली का प्रलेखन' नामक अध्ययन करवाया जिसे सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों को भेजा गया था । प्रशिक्षण देने के लिए आईआईटीएम द्वारा दिया गया एक प्रशिक्षण मोड्यूल भी, गृह मंत्रालय को अग्रेषित किया गया था जिसे आगे सभी राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों के मुख्य सचिवों को परिचालित किया गया था ।

iii. पर्यटन मंत्रालय द्वारा गृह मंत्रालय के समक्ष विदेशी पर्यटकों के साथ-साथ घरेलू पर्यटकों की सुरक्षा और संरक्षा के मामले को भी हाइलाइट किया गया । गृह मंत्रालय की इच्छानुसार पर्यटन मंत्रालय ने 25 पर्यटक स्थलों की एक सूची अग्रेषित की जिसका उपयोग राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में एक अलग पुलिस यूनिट बनाने के लिए प्रायोगिक परियोजना के रूप में किया जा सकता है ।

iv. एक व्यापक कार्यढांचा तैयार करने के लिए पुलिस अनुसंधान और विकास ब्यूरो (बीपीआरएंडडी) ने पर्यटक पुलिस योजना पर एक अध्ययन किया और एक अत्यंत विस्तृत रिपोर्ट तैयार की । पर्यटकों के लिए अधिक सुरक्षित ईकोसिस्टम बनाने के लिए सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों में समान पर्यटक पुलिस के कार्यान्वयन के उद्देश्य से पर्यटन मंत्रालय ने गृह मंत्रालय और बीपीआर एंडडी के सहयोग से 19.10.2022 को नई दिल्ली में सभी राज्यों/संघ राज्यक्षेत्रों के पुलिस विभागों के महानिदेशकों (डीजी)/महानिरीक्षकों (आईजी) हेतु पर्यटक पुलिस योजना के संबंध में एक राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया ।

v. पर्यटन मंत्रालय ने भारत में यात्रा संबंधी सूचना और भारत में यात्रा करते समय आपदा ग्रस्त पर्यटकों को उचित निर्देश देने के रूप में सहायक सेवा प्रदान करने के लिए घरेलू और विदेशी पर्यटकों को 10 अंतर्राष्ट्रीय भाषाओं (जर्मन, फ्रेंच, स्पेनिश,

इतालियन, पुर्तगाली, रूसी, चीनी, जापानी, कोरियन, अरबी), हिंदी, अंग्रेजी सहित 12 भाषाओं में टोल फ्री नंबर 1800111363 या लघु कोड 1363 पर 24x7 बहुभाषी पर्यटक इन्फो-हेल्पलाइन स्थापित की है ।

vi. पर्यटन मंत्रालय ने सभी राज्यों और संघ राज्यक्षेत्रों के पर्यटन विभागों सहित सभी हितधारकों के साथ 'सुरक्षित और सम्मानजनक पर्यटन संबंधी आचार संहिता' को अपनाया है, जो पर्यटकों और स्थानीय लोगों, विशेष रूप से महिलाओं और बच्चों के लिए गरिमा, सुरक्षा और शोषण से मुक्ति जैसे मौलिक अधिकारों के लिए सम्मान की भावना के साथ की जाने वाली पर्यटन संबंधी गतिविधियों को प्रोत्साहन देने के लिए दिशानिर्देशों का एक समूह है ।

*****